

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद)

पत्रांक 90 / न0पा0 / क0वि0 / 2017

दिनांक 24 जौलाई, 2017

विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली नियमावली 2017

नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (जनपद गाजियाबाद) सीमान्तर्गत विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली हेतु शासनादेश संख्या- 433/नौ-9-14-277ज/11 लखनऊ दिनांक 23-04-2014 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) और धारा 298 की उपधारा (2) की सूची की शीर्षक (ज) की उप शीर्षक (च) के अधीन विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली सम्बन्धी नियमावली बनायी गयी हैं, जिसे नगर पालिका परिषद, मोदीनगर की बैठक दिनांक 29-04-2017 को प्रस्ताव सं0-12 के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है जो राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। उक्त प्रस्ताव के अनुपालन में नियमानुसार प्रकाशन किया जाता है। उक्त नियमावली/उपविधि पर यदि कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर कार्यालय को लिखित रूप से आपत्ति प्राप्त करायें, समय सीमा के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
 2. परिभाषाये
- (1) उपविधि नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद), विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली नियमावली 2017 कही जायेगी।
 - (2) यह नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद की सीमा में लागू होगी।
 - (1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में –
 - (एक) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है,
 - (दो) "विज्ञापन कर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।
 - (तीन) "विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्सम्बन्ध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हों और द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे (संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हों;
 - (चार) "विज्ञापन" का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है,
 - (पाँच) " गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुये ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा से लहरा रहा हो।
 - (छः) "पताका" (Banner) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं।
 - (सात) "पताका विज्ञापन" का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतीक से है जिसमें पताका या झण्डी उपयोग प्रदर्शन सतह के रूप में किया जाता हो।
 - (आठ) "नगर पालिका" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, मोदीनगर से है।
 - (नौ) "विद्युतीय विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं।
 - (दस) "भू-विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित है और जनता के लिए दृश्य हो।
 - (ग्यारह) "प्रदीप्त विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो।
 - (बारह) "शामियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो।
 - (तेरह) "प्रक्षेपित विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे एक फुट से अधिक बाहर की ओर हों।
 - (चौदह) "मार्गाधिकार" का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है।
 - (पन्द्रह) "छत" विज्ञापन का तात्पर्य सड़क से ऐसे विज्ञापन है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हों जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।
 - (सोलह) "अनुसूची" का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है।
 - (सत्रह) "प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो।
 - (अठारह) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड (7) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है।
 - (उन्नीस) "अस्थायी" विज्ञापन का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनी हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वाछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवास, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।

(बीस) "बराण्डा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बराण्डा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये किसी विज्ञापन से है,

(इक्कीस) "सचल विज्ञापन" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है, जो किसी वाहन या अन्य साधनों से भ्रमण कर प्रदर्शित किया जाता है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हो।

3. स्थल चयन के लिये समिति का गठन

(1) अध्यक्ष नगर पालिका परिषद की अध्यक्षता में विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट के लिए और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिये और उसके आकार, ऊँचाई और पहलू का विनिश्चय करने के लिये नगर पालिका में एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति का गठन निम्नप्रकार होगा:—

(एक) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मोदीनगर

(दो) कर अधीक्षक, नगर पालिका परिषद मोदीनगर

(तीन) नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित प्राधिकारी

(चार) परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(पाँच) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

(छः) नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग का अधिकारी

(सात) परिवहन विभाग का एक अधिकारी

(आठ) सचिव, विकास प्राधिकरण/विनियम क्षेत्र का अधिकारी

(नौ) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि

(दस) राजस्व निरीक्षक नगर पालिका परिषद मोदीनगर

(ग्यारह) अवर अभियन्ता (सिविल) नगर पालिका परिषद मोदीनगर

अध्यक्ष
सदस्य/सचिव

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

4. प्रतिशोध

(3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों से विज्ञापन कर निर्धारण समिति द्वारा अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिये अधिशासी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के संबंध में नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जायेगी।

(1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति नगर पालिका की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक नगर प्राचीर बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) नगर पालिका की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन पर परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित न सम्प्रदर्शित न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित, करने या न लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर से दृष्टिगोचर कोई विज्ञापन पट्ट, प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट नियम 16 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के यथा निर्धारित दूरी अर्थात् 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

5. अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची - एक में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा, जिसे अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा निर्धारित धनराशि का भुगतान करके नगर पालिका परिषद, के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा, या सम्बन्धित निकाय के वेबसाइट में डाउनलोड किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाना जाना, वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी:—

(क) प्रतीक की लम्बाई, ऊँचाई और भार को दर्शाते हुये पूर्ण विशिष्टियाँ, अवस्थिति जहाँ इसे विनिर्मित किया जाना है विनिर्माणकर्ता का नाम और पता और जहाँ प्रयोज्य हो वहाँ प्रकाश पुंजी संख्या और उसके विद्युतीय विवरण ऐसे प्रपत्र 1:500 के पैमाने पर चित्रित प्रतीक की स्थल पर स्थिति को इंगित करने वाले अवस्थिति मानचित्र से संलग्न होगा।

(ख) पूर्ववर्ती के अतिरिक्त छत - विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू-विज्ञापनों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक-स्थानों के समस्त घटक और यदि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा अपेक्षित, हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनायें आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) कोई अन्य विशिष्टियाँ जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा अपेक्षित हों।

(घ) गुब्बारा विज्ञापनों के मामले में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा -

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण;

(ख) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट। आवेदन आवश्यक चित्रों और संरचना संगणनाओं सहित अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग - 4 संरचना अभिकल्प धारा - 1 भार, बल और प्रभाव के अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा संलग्न होगी।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्री गार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्री गार्ड पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन कर भुगतान करने तथा पौधारोपण और उनके समुचित रखरखाव और सुरक्षा का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो अधिशासी अधिकारी द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि संलग्न होगी।

6. अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि -

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर इस उपविधि के अनुसार सदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा समुदभूत किया जायेगा चित्रित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाय और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो की ऊँचाई 06 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो संलग्न विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी, विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई या 6 मीटर जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी।

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा।

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(ङ) विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसके विवरण में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(च) विज्ञापन कर्ता ऐसी अवधि जिसके लिये अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।

(ज) मार्ग के लिये खुली छोड़ी गई भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिये स्वतंत्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिये उपलब्ध रहेगी।

(झ) भवनों यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा।

(ञ) लोकहित में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा।

(ट) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए।

(ठ) भवन से संबंधित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालय शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष आने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ड) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़ - पौधों में गाड़ा बाँधा नहीं जायेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा।

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्ही अन्य कारण से गिर जाता है।

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है।

(ग) यदि विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन

परिनिर्मित किया जाता है और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाषा का व्यवधान सम्मिलित है।

(ड) यदि ऐसा भवन या संरचना जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित नियत या अवरूद्ध हो भंजित या नष्ट हो जाती है।

7. प्रीमियम

(1) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद प्रत्येक स्थल के लिये न्यूनतम प्रीमियम धनराशि नियत करेगा।

(2) मुहर बंद लिफाफा में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि संलग्न होनी चाहिए।

8. आवंटन समिति

(1) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद की अध्यक्षता में निकाय में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे -

(एक) अध्यक्ष कर समिति, नगर पालिका परिषद मोदीनगर

-सदस्य

(दो) निकाय से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अवर अभियन्ता

-सदस्य

(तीन) निकाय में विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट प्रभारी अधिकारी,

कर निर्धारण अधिकारी/कर अधीक्षक

-सदस्य सचिव

(2) समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्र निविदाओं, प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और तदानुसार अनुमोदित करेगी।

(3) देय कर सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(5) विज्ञापन कर्ता द्वारा नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद का अनुमोदित प्रीमियम और विज्ञापन कर की पूर्ण धनराशि की 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) विस्तृत सूचना आदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी है।

(7) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रूप से उपर्युक्त रीति से की जायेगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना बांछनीय हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापन कर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग के छोड़कर) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टैलीफोन खम्भों या ट्री गार्ड या चाहरदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो तो अनुसूची - 2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

9. आवेदनपत्रों की अस्वीकृति के आधार

नियम-4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है-

(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरूप न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्ति जनक प्रकृति का या नगर पालिका परिषद के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु समर्पित प्रकृति का हो या ऐसे स्थानपर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो जैसा कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील गन रेखाचित्र या चित्र या मदनमत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिये क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो

(ड) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत होगा।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना बांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा 128 में निर्दिष्ट विज्ञापन कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

10. अनुज्ञा प्रदान करने की रीति

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने लगाने, चिपकाने, लिखने, करने या हस्तांतरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना अधिशासी अधिकारी के लिये विधि सम्मत होगा -

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा

(दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

11. अनुज्ञा की अवधि

अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिये ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या उसका नवीकरण किया जायेगा।

12. विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात हेतु संचालन हेतु अशान्ति का कारण हो तो समिति विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है:-

(एक) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय और

(दो) ऐसी अवधि जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसी उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था, या लटकाया गया था के लिये क्षतियों की धनराशि।

- (2) जब कभी कोई विज्ञापन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडण्डी/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाये क्षतिग्रस्त हो जाती है तो विज्ञापन कर्ता से वसूल की गयी धनराशि को नगर पालिका द्वारा संबन्धित विभाग को आन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

13. विज्ञापन पर निर्बन्धन

- (1) किसी सविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि—

(एक) यह आकार में 12.2मीटर × 6.1 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुये मार्ग से मापे गये 50 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होनी की सम्भावना हो।

(चार) नियम-3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये अनुपयुक्त हो:

(पाँच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पट्टरी/पगडण्डी पर रखा गया हो,

(छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो,

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालय और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हों,,

(आठ) स्थल नियम 22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निकाय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो—

- (2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जायेगी—

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, संबिलीन होने या प्रतिचछेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो,

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दायी ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर,

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के आदेशों के लिये अधीन मार्ग से होते हुये यातायात के विनियमन के लिये परिनिर्मित, किसी साईन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर,

(चार) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिये परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो,

(पाँच) किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टों, भित्ति, पत्रकों, वस्त्र - झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और या इसलिये परिसंकटमय हो,

(छः) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो,

(सात) जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हो।

- (3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी—

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय ताप, मौसम, या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है।

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन, किया में विघ्न पड़ता हो।

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14. छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन

- (1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमत्य

- (2) नियम 6 और नियम 13 के अधीन रहते हुये, किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई ऐसे भवन की ऊँचाई की एक - तिहाई से अधिक नहीं होगी।

15. विज्ञापन पट्टों के प्रकार

- विज्ञापन पट्ट निम्नलिखित प्रकार के होंगे—

(क) विद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन, (ख) भू-विज्ञापन, (ग) छत विज्ञापन, (घ) बरामदा विज्ञापन, (ङ) दीवार विज्ञापन, (च) प्रक्षिप्त विज्ञापन, (छ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन, (ज) आकाशीय विज्ञापन, (झ) पताका/झण्डी विज्ञापन, (ञ) शामियाना विज्ञापन, (ट) गुब्बारा विज्ञापन, (ठ) अस्थायी विज्ञापन, (ड) सचल (मोबाइल) विज्ञापन, (ढ) विविध विज्ञापन

16. दुकानों
विज्ञापन

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद की पूर्व अनुमति के बिना और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफती लटकाकर स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—

(एक) यदि बेचे जाने वाली दुकानों के नाम वस्तुओं या समानों के नाम, फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किये जायें तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जायेगा और वे इस उपविधि के अधीन करादेय नहीं होगा।

(ख) यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ उसके गुण आदि का विवरण हो और सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतन्त्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन करादेय होगा।

17. मार्गाधिकार
(राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन

उसकी क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुये निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग को छोड़कर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी:—

- (1) मार्ग प्रकाश खम्भों पर विज्ञापन
- (2) बस शेल्टर पर विज्ञापन
- (3) स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर विज्ञापन
- (4) यातायात रोटरी क्लब और आइलैण्ड,
- (5) मैदानों/पंगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियां
- (6) वृक्ष रक्षक (Tree Guards)
- (7) पुष्प पात्र स्टैण्ड्स (Flower Pot Stands)

18. छूट

(1) इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी—

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान, या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखें किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट परन्तु इनकी माप 0.6 मीटर × 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाये किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छ) यदि यह ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन, या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार ओमनीवस या अन्य वाहन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो परन्तु यह 1.2 मीटर² से अधिक न हो।

(सात) यात्रा मार्ग निर्देश

(आठ) राजमार्ग विज्ञापन पट्ट

19. अस्थायी
विज्ञापन

(1) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उसे ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर अस्थायी विज्ञापन प्रतीक परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने संप्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिये विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिये हो तो अधिशासी अधिकारी के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव किया जाना चाहिए।

20. विशेष
नियंत्रण का क्षेत्र

(1) जब अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञात विज्ञापन युक्ति से नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हों तो वह ऐसे को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के कर सकता है। पार्को और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उप नियम (1) उपबन्धों के अधीन रहते हुये ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा आवश्यक समझा जाये। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद निकाय की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के संबंध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करें, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमत हो, स्वामी फर्म के नाम तक सीमित होगी जो उस परिसर का अध्यासी हो, भवन या संस्था का नाम चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि ज्वैलर्स, कैफ़े, डांसिंग भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है। या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की सूचना हो सकती है

किसी भी बरामदे के विज्ञापन के विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) में दिये गये के सिवाय समयान्तयः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं होगा।

21. निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

नगर पालिका या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्ही क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन आरेखण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करें।

22. झण्डियों पर रोक

- (1) कोई भी व्यक्ति अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।
- (2) कोई भी अनुज्ञा निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।
- (3) इस उपविधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी दो सौ रुपये से कम नहीं होगी।
- (4) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकते हैं और उसे समपहृत या विनिष्ट कर सकता है।

23. अनुस्वण और निरीक्षण

- (1) अनुस्वण— सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा आपेक्षित है अवलम्बों, बधनी रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायें जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टि कोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग रोगन किया जायेगा।
- (2) सुव्यवस्था— प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तर दायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके (घेरे) गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।
- (3) निरीक्षण— प्रत्येक विज्ञापन, जिससे के लिये परमिट जारी किय गया हो और प्रत्येक विद्यमान जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

24. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निकाय अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण खोज, पर्यवेक्षण माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि द्वारा या तदधीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ ये उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है परन्तु

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी या अध्यासी न हो तो भवन या भूमि के स्वामी के युक्तियुक्त दिये बिना इस प्रकार का प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला यदि कोई हो को हट सकने के लिये पर्यन्त के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

25. कर के भुगतान की शक्ति

अनुसूची- 2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक कर एकल किष्प में संदेय होगा और जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा।

26. क्षेत्रों का वर्गीकरण

विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर वर्गीकरण का विनिश्चय आवंटन समिति द्वारा किया जा सकेगा

27. विज्ञापन पट्ट हटाये जाने की लागत

नियम 10 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत नगर पालिका द्वारा नियत की जायेगी।

28. अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ, रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

अनुसूची-1 (नियम 5(1) देखें)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद)

प्रपत्र सं०

मूल्य रू०/.....

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन - पत्र

पासपोर्ट
आकार का
चित्र

- 1 आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम
- 2 अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम



- 3 पतामो0 नं0.....
- 4 आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का प्रकार
- 5 विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का आकार
- 6 स्थल मानचित्र सहित स्थल की अवस्थिति
- 7 भूमि भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम व पता.....मो0 नं0
- 8 क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि भवन है ?
- 9 (1) यदि व्यक्तिगत स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाये।
(2) स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र कि चूक की दशा में वह विज्ञापनकर्ता को देयकर के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।
(3) अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मोदीनगर (जनपद गाजियाबाद), द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता द्वारा दिया गया क्षमता सम्बन्धी
- 10 (एक) अनुसूची - 2 के अनुसार वार्षिक विज्ञापन कर
(दो) किरत की धनराशि
- 11 कोई अन्य विवरण
- संलग्नक
- दिनांक.....
- आवेदक का हस्ताक्षर

अनुसूची-2 (नियम 25 देखें)
विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट पर कर की दरें
नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद) के लिये

- 1 भूमि दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के निर्माण और प्रदर्शन के लिये-

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रु0: 1200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 600 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 480 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

- 2 यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रकाश युक्ति द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होगी।

- 3 (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन एवं अन्य पर संचल विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर प्रतिवाहन/ प्रतिवर्ष
हल्का वाहन	रु0: 3000 प्रतिवर्ष प्रति वाहन
भारी वाहन	रु0 12000 प्रतिवर्ष प्रति वाहन

- (2) सड़क प्रदर्शन (रोड शो) निम्नलिखित दर पर-

वर्गीकरण	देय कर प्रतिवाहन/ प्रति दिन
(1) तीन पहिया	रु0: 30 प्रति दिन
(2) चार पहिया	रु0 300 प्रति दिन
(3) छः पहिया	रु0: 600 प्रति दिन

- 4 विद्युत तथा अन्य श्रेणी पर विज्ञापन पट्ट -

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रु0: 1800 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 1200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 900 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 600 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

- 5 पोस्टर रु0: 180 (प्रति सैकड़ा)

- 6 परचा रु0: 360 (प्रति सैकड़ा)

- 7 पताका बैनर रु0: 60 (प्रति बैनर)

- 8 विद्युत या इलेक्ट्रिक युक्त/ परिवर्तनशील संदेश चिन्हों सहित प्रदीप्त चिन्ह-

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रु0: 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

- 9 गुब्बारे रु0: 300 प्रति दिन

- 10 छतरी रु0: 300 प्रतिदिन

- 11 एक स्तम्भ उपर्युक्त मद 1 अनुसार

- 12 अन्य प्रकार के विज्ञापन उपर्युक्त मद 4 अनुसार

स्पष्टीकरण- इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत्त हुई हो के दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

- 1 स्पष्टीकरण 1 के अन्तर्गत वृद्धि की गणना उद्देश्य से रूपये का कोई भाग छोड़ दिया जायेगा।
- 2 कर अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।
- 3 यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 मास से अधिक नहीं होती है तो विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।
- 4 यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद निर्देश दे सकता है कि कर मासिक आधार पर आगणित होगा किन्तु एक किश्त में वसूला जायेगा।
- 5 कर के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।
- 6 उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरें नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद में प्रभाषित की जायेगी।

(अंकित कुमार)
कर निरीक्षक

(अनुज कौशिक)
अधिशासी अधिकारी

(सरज शर्मा)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि: संख्या- 90/नॉप/0/2017/2017

दिनांक:- 24/07/17

- 1 जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2 अपर जिलाधिकारी, प्रशासन/वित एवं राजस्व गाजियाबाद।
- 3 प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, गाजियाबाद।
- 4 डा0 श्री सत्यपाल सिंह मा0 सांसद/पदेन सदस्य मोदीनगर।
- 5 डा0 मन्जू शिवाच मा0 विधायक/पदेन सदस्य मोदीनगर।
- 6 कार्यालय उपजिलाधिकारी, मोदीनगर।
- 7 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी, मुरादनगर।
- 8 समस्त सदस्यगण, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर
- 9 श्री अंकित गोयल, कम्प्यूटर प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञापित को नगर पालिका की वैबसाईट www.nppmodinagar.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
- 10 सम्पादक राष्ट्रीय सहारा, इमेरिट, मोदीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना आगामी प्रकाशित होने वाले अंक में न्यूनतम स्पेस व धनराशि में केवल एक बार प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 11 कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(अनुज कौशिक)
अधिशासी अधिकारी

Mumukshu
24/7/17